भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2150

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

तमिलनाडु में टीपीडीएस

2150. श्री मलैयारासन डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत सुधारों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु राज्य में इन सुधारों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु में आधार-आधारित प्रमाणीकरण, ईपीओएस मशीनों तथा स्वचालित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसी प्रौद्योगिकियों की शुरुआत से टीपीडीएस की दक्षता तथा पारदर्शिता में सुधार हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में टीपीडीएस का कवरेज कितना है और इस प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में कितने परिवार खाद्यान्न तथा अन्य राजसहायता प्रदत्त सामग्री प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) समाज के वंचित वर्गों और विशेष रूप से तमिलनाडु के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों तक टीपीडीएस सुधारों का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या टीपीडीएस सुधारों के कार्यान्वयन में चोरी या विलंब जैसी कोई चुनौतियां या समस्याएं आ रही हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और **(ख):** प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, टीपीडीएस की दक्षता में सुधार लाने और लीकेज कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु सहित) में राशन कार्ड/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटलीकृत (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु सहित) में लागू किया गया है। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु सहित) में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, देश में (तमिलनाडु सहित) कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस लगाकर स्वचालित किया गया है।

...2/-

(ग): एनएफएसए तमिलनाडु राज्य में लगभग 364.12 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान करता है।

(घ) से **(च):** टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण तमिलनाडु सहित देश भर में लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत शासित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों और परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की देखरेख और निगरानी आदि की प्रचालानात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

वर्तमान में, लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों के निर्बाध वितरण के लिए तमिलनाडु राज्य में सभी 34,805 उचित दर दुकानों (एफपीएस) को ईपीओएस डिवाइस लगाकर स्वचालित कर दिया गया है।

*****